न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रसद विविध :: 02/2018 ::

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीः–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबुलाल कुमावत निवासी केरली बास, देसूरी हाल बिक्रीकृता मैसर्स खेतलाजी गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस, देसूरी जिला पाली
2. दलपत गहलोत पुत्र वरदाराम निवासी देसूरी हाल मालिक मैसर्स खेतलाजी गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस, देसूरी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :: प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थीगण की ओर से मोहम्मद सफी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 29/10/18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स खेतलाजी, गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस, देसूरी, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 20.03.2018 को मौके पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 6 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो क्रमशः 10.50 किग्रा व 10.20 किग्रा गैस से भरे हुए व 4 खाली तथा 1 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का जिसमें 10.80 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19 किग्रा) जिनमें 7 एच.पी. कम्पनी के व 1 बी.पी.सी.एल. कम्पनी का एवं दो अप्रमाणिक खाली सिलेण्डर (2 किग्रा) व एच.पी. कम्पनी की आठ डायरियां का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 20.03.2018 को घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु मय श्री उदयभानु चारण, जिला रसद अधिकारी के साथ देसूरी स्थित अप्रार्थीगण के व्यावसायिक परिसर मैसर्स खेतलाजी गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस, देसूरी, जिला पाली (राज.) पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबुलाल कुमावत जिसने स्वयं को प्रतिष्ठान में बिक्रीवाला बताया जो उपस्थित मिला व अप्रार्थी संख्या 2 श्री दलपत गहलोत पुत्र वरदाराम को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री दिलीप वैष्णव पुत्र डुंगरदास, निवासी पुरोहितों का बास, नगर पालिका बाली तहसील बाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस सर्विस, देसूरी व श्री दिनेश पुत्र वरदाराम निवासी ग्राम नारलाई तहसील देसूरी की उपस्थिति में अप्रार्थीगण के व्यावसायिक परिसर की जांच करने पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 6 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो क्रमशः 10.50 किग्रा व 10.20 किग्रा गैस से भरे हुए व 4 खाली तथा 1 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का जिसमें 10.80 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19 किग्रा) जिनमें 7 एच.पी. कम्पनी के व 1 बी.पी.सी.एल. कम्पनी का एवं दो अप्रमाणिक खाली सिलेण्डर (2 किग्रा) व एच.पी. कम्पनी की आठ डायरियां (उपभोक्ता क्रमांक क्रमशः 515148, 505881, 505420, 506422, 515925, 515944, 505957 व 515945) जो अलग–अलग गांवों की पाई गई तथा फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगी पर मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गए। अप्रार्थी द्वारा मौके पर जब्त सिलेण्डर एवं डायरियों के

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 जितेन्द्र कुमार से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए, न ही उसके द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल से करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री दिपेन्द्र परिहार पुत्र अमृतलाल परिहार हाल मैनेजर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस सर्विस, देसूरी को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से एक रजिस्टर भी प्राप्त हुआ, जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा गैस का जो व्यावसायिक उपयोग किया गया, उसका हिसाब किताब विभिन्न दिनांक के हिसाब से अंकन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण पिछले काफी समय से अवैध गैस के कारोबार में लिप्त है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 6 सिलेण्डर एच. पी. कम्पनी के जिनमें दो क्रमशः 10.50 किग्रा व 10.20 किग्रा गैस से भरे हुए व 4 खाली तथा 1 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का जिसमें 10.80 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19 किग्रा) जिनमें 7 एच.पी. कम्पनी के व 1 बी.पी.सी.एल. कम्पनी का एवं दो अप्रमाणिक खाली सिलेण्डर (2 किग्रा) को राज्यसात (Confiscate) करने के तथा आठ जब्तसुदा डायरियों के उपभोक्ता के कनेक्शन निरस्त कराने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब में उल्लेख किया एवं वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी जब अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान पर पहुँचे तब अप्रार्थी संख्या 1 ही प्रतिष्ठान पर था, जो प्रतिष्ठान में कर्मचारी है, जिसे प्रतिष्ठान से प्राप्त सिलेण्डरों के संबंध में जानकारी नहीं थी, इस वजह से अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के समक्ष जब्त सिलेण्डर के संबंध में उसके होने बाबत वैध साक्ष्य पेश नहीं कर पाया। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 10 व्यावसायिक सिलेण्डर का कनेक्शन है जिसके उपभोक्ता क्रमांक 14529165 है। प्रार्थी के निरीक्षण से दो दिवस पूर्व एक यात्रा संघ वालो ने अप्रार्थी संख्या 2 से उसके गैस सिलेण्डर लेकर गए तथा अपने 7 एच.पी. कम्पनी के व एक बी. पी.सी.एल. कम्पनी का खाली सिलण्डर रख कर गये थे। जो अप्रार्थी संख्या 2 ने उनकी मदद करने की नीयत से दिए थे तथा अन्य सात घरेलू सिलेण्डर प्राप्त हुए वह आस–पास के छोटे–छोटे गांव वालो के थे, जो गैस कम्पनी से बुकिंग किए गए थे, वे गैस कम्पनी से प्राप्त कर उन्हें लौटाने के लिए थे, इस हेतु उनकी डायरियां भी अप्रार्थीगण के पास थी, जो भी जब्त कर दी गई। जबकि अप्रार्थीगण अपने प्रतिष्ठान में गैस के चुल्हे तथा गैस की भट्टीयां इत्यादि रिपेयरिंग का कार्य करते है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर निवेदन है कि अप्रार्थीगण से जब्त घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर व डायरियों को अप्रार्थीगण को सुपुर्द करने का आदेश फरमावें।

सरकारी पैरोकार की बहस एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण के जवाब व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के व्यावसायिक परिसर मैसर्स श्री खेतलाजी गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस, देसूरी, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 20.03.2018 को मौके पर 07 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 6 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो क्रमशः 10.50 किग्रा व 10.20 किग्रा गैस से भरे हुए व 4 खाली तथा 1 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का जिसमें 10.80 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19 किग्रा) जिनमें 7 एच.पी. कम्पनी के व 1 बी.पी. सी.एल. कम्पनी का एवं दो अप्रमाणिक खाली सिलेण्डर (2 किग्रा) व एच.पी. कम्पनी की आठ

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

डायरियां दौराने निरीक्षण पाये गये तथा उक्त सामग्री के संबंध में अप्रार्थीगण अपना कोई स्पष्ट जवाब प्रार्थी के समक्ष पेश नहीं कर पाया तथा किसी व्यक्ति द्वारा वैध लाईसेन्स या अनुज्ञा पत्र के अभाव में अपने प्रतिष्ठान पर एक साथ 7 घरेलू सिलेण्डर व 8 व्यावसायिक सिलेण्डर का संग्रहण किया जाना विधी विरूद्ध है। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्वयं यह कबूल किया कि अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से ही घरेलू व व्यावसायिक सिलेण्डर, अप्रामणिक सिलेण्डर व डायरियां जब्त किए गए है। जो अप्रार्थी द्वारा जब्त सुदा सिलेण्डर को अन्य व्यक्तियों के होना व उसके यहां भरने के लिए रखना बताया है तथा यह भी उल्लेख किया है कि सभी उपभोक्ता उसके आस–पास छोटे–छोटे गांवों में रहते है तथा जहां रहते है उनके घरों की गलियां तंग है। इस कारण से गैस भरने के लिए उसकी दुकान पर रख कर जाते है। जबकि पत्रावली संलग्न उपभोक्ताओं की गैस डायरियों में अंकित पते उसके आस पड़ौस के नहीं होकर विभिन्न गांवों जैसे विरमपुरा, मगरतलाब, काणा, अणेवा व देसूरी है। इससे प्रतीत होता है कि सिलेण्डर अन्य उपभोक्ताओं के है, तो उनके द्वारा दर्शाये पते पर ही सिलेण्डर डिलीवरी करने का प्रावधान है तथा इसके लिए संबंधित एजेन्सी द्वारा चार्ज भी वसूला जाता है तथा उपभोक्ता द्वारा पता बदलवा दिया गया है तो एजेन्सी द्वारा प्रदत उपभोक्ता डायरी में पते में बदलाव करवाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया फिर भी गैस कम्पनी की एजेन्सी द्वारा अलग–अलग उपभोक्ताओं के पते के बावजूद मैसर्स श्री खेतलाजी गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस देसूरी पर सिलेण्डर सप्लाई करने का न तो आधार है तथा न ही औचित्य पेश किया गया है तथा उपभोक्ता के स्थान पर किसी अन्य को भरे हुए सिलेण्डर प्रदाय करना भी विधी सम्मत व न्यायोचित नहीं है न ही सिलेण्डर प्राप्त करने की सरलता व सुगमता को घरेलू गैस सिलेण्डर को अन्यत्र एक व्यावसायिक परिसर में एक ही व्यक्ति के पास होने को भी न्यायोचित मानने का आधार है, न ही इस बाबत संबंधित एजेन्सी ने पत्र द्वारा अथवा अन्य माध्यम से यह जाहिर किया है कि उनको सिलेण्डर मैसर्स श्री खेतलाजी गैस रिपेयरिंग, सेल्स एण्ड सर्विस देसूरी पर डिलीवरी देने हेतु कहा गया था एवं उनके कथनानुसार डिलीवरी दे रहे है, न ही ऐसा प्रावधान है तथा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्राप्त आठ व्यावसायिक सिलेण्डर के संबंध में जो कथन किया गया है वह भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई भी यात्रा संघ अपने साथ गैस सिलेण्डर नहीं ले जा सकता है तथा अगर ले जाता है तो उसके लिए उसे अपने साथ इतनी तादाद में गैस सिलेण्डर ले जाने बाबत अनुज्ञा अनुज्ञा ली गई हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्य मात्र अपनी कालाबाजारी को छुपाने तथा न्यायालय को भर्मित करने की नियत से पेश किए है। जबकि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्राप्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर, आठ व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, दो अप्रमाणिक सिलेण्डर तथा आठ गैस डायरियां जो विभिन्न गांवों के लोगों की प्राप्त होना यह जाहिर करता है कि अप्रार्थीगण अवैध गैस संग्रहण व उसका व्यावसायिक उपयोग का कार्य करता है तथा उसके पास से जब्त एक रजिस्टर में उसके द्वारा किए गए अवैध गैस का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट है तथा इस संबंध में उसके द्वारा प्रत्येक दिनांक को किए गए व्यापार की प्रविष्ठि में गैस भरने की प्रविष्ठि भी की गई है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण पिछले काफी समय से अवैध गैस के कारोबार में लिप्त है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थीगण श्री जितेन्द्र कुमार व श्री दलपत गहलोत द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से जब्त सुदा 7 घरेलु गैस सिलेण्डर, 8 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, दो अप्रमाणिक गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाने के साथ ही एच.पी. कम्पनी के घरेलू गैस कनेक्शन की आठ डायरियां जिनके उपभोक्ता क्रमांक क्रमशः 515148, 505881, 505420, 506422, 515925, 515944, 505957 व 515945 है, जिनका उपयोग अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है एवं जब्त डायरियां अप्रार्थी की नहीं है, इस प्रकार हो रहे दुरूपयोग को रोकने के लिए उक्त कनेक्शन निरस्त करना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने व्यावसायकि परिसर में घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण किए जाने 07 घरेलू गैस सिलेण्डर

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

(उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) जिनमें 6 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो क्रमशः 10.50 किग्रा व 10.20 किग्रा गैस से भरे हुए व 4 खाली तथा 1 सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी का जिसमें 10.80 किग्रा गैस भरी हुई तथा 8 खाली व्यावसायिक सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 19 किग्रा) जिनमें 7 एच.पी. कम्पनी के व 1 बी.पी.सी.एल. कम्पनी का एवं दो अप्रमाणिक खाली सिलेण्डर (2 किग्रा) पाये गये को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं एवं विभिन्न उपभोक्ताओं की जब्त एच.पी. कम्पनी की डायरियों के कनेक्शन निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर एवं एच.पी. कम्पनी की आठ डायरियां जिनके उपभोक्ता क्रमांक क्रमशः 515148, 505881, 505420, 506422, 515925, 515944, 505957 व 515945 है उनके कनेक्शन एच.पी. कम्पनी से निरस्त कराकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 29/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)